राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या ..9/2016.....जिला..... जोधपुर.....

उनवान – मैसर्स यंग एन्टरप्रिनियर, जोधपुर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.07.16	**एकलपीठ** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 29.12.2015 जिसके द्वारा अपीलार्थी के अपील प्रार्थना–पत्र संख्या 1049/2013/जोधपुर को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया था, के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस. आर. लूंकड एवं विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की ओर से दिनांक 29.012.2015 को कोई भी उपस्थित नहीं होने से अपील सं 1049/2013/जोधपुर अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा अपील डाक से भेजी गई थी तथा अपीलार्थी को नोटिस जारी होना व प्रतिनिधि का प्राप्त होना स्वीकृत तथ्य है। अपीलार्थी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि उनके प्रतिनिधि द्वारा नोटिस को खो जाना और भय से (fear) प्रतिनिधि द्वारा इसकी जानकारी उसका (अपीलार्थी) को नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थी की ओर से तारीख पेशी पर माननीय कर बोर्ड के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं हो सका। यद्यपि अपीलार्थी विभाग की वेबसाइड से अपील की तारीख पेशी की जानकारी प्राप्त कर सकता था। फिर भी एक प्रतिनिधि की उपेक्षा के कारण यदि अपीलार्थी को प्रकरण के गुणावगुण पर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो इससे अपीलार्थी के हित पर विपरीत रूप से प्रभावित होगें। जहां तक अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण के निस्तारण में जो विलम्ब कारित हुआ है, उसके लिये प्रतिकारात्मक रूप से हर्जा (Cost) अधिरोपित किया जाना भी न्याय संगत है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार प्रकरण के तथ्य व परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना प्रत्र 500/– रूपये के हर्जे (cost) पर स्वीकार किया जाता है। परिमाणस्वरूप हर्जे की राशि राजकोष में जमा कर रसीद प्रस्तुत करने पर अपील 1049/2013/जोधपुर, सुनवाई हेतु पुनः उसी नम्बर पर दर्ज की जाये। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न अपील पत्रावली रहें। आदेश सुनाया गया। 20/07/16 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	